

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (150)एम.ई./ग्रुप-1/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक 4-9-17


आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक 1 (150)एम.ई./ग्रुप-1/2013 दिनांक 20.07.2017 द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अवधि में वृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पदस्थापन स्थान	मेरिट संख्या	अभिवृद्धि हेतु समय
1.	डॉ० मुकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, रेडियो डायग्नोसिस, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।	एम-11	20.09.2017

उक्त चिकित्सक की कार्यग्रहण अवधि वृद्धि के समाप्ति पर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से


(रत्न लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


अनुभागाधिकारी
(राजेंद्र लाल)
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग
सहायक शासन सचिव,
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (150)एम.ई./ग्रुप-1/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक ५-९-१७

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक 1 (150)एम.ई./ग्रुप-1/2013 दिनांक 20.07.2017 द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अवधि में वृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पदस्थापन स्थान	मेरिट संख्या	अभिवृद्धि हेतु समय
1.	डॉ० सतीश कुमार, सहायक आचार्य, रेडियो डायग्नोसिस, मेडिकल कॉलेज, कोटा।	एम-11	20.09.2017


उक्त चिकित्सक की कार्यग्रहण अवधि वृद्धि के समाप्ति पर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से


(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।


(अनुराग चौधरी)
चिकित्सा शिक्षा विभाग-सचिवालय
शासन सचिवालय, जयपुर